Ep

SOVTECH A & N Islands
Dairy No : 712
Date : 04/01/24
Verified by :

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES
*****

NOTICE

The Draft Recruitment Rule for the post of **Armature Winder** has been uploaded in the A&N Administration Portal www.andaman.gov.in for information of all concerned. The stakeholders may submit their claims/objections, if any addressed to the Director, Directorate of Shipping Services, Port Blair within 30 (thirty) days from the date of publishing of this notice. Thereafter, no claims/objections will be entertained.

Assistant Director(Admn)

F.No.10-2/MDY/DSS/2023/ 26

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
जहाज़रानी सेवा निदेशालय
DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES
*****

Port Blair, dated the 03rd January, 2024

To

1. The Chief Editor, The Daily Telegrams, Port Blair with request to publish the above Notice alongwith the Draft Notification and Recruitment Rule (In English & Hindi Newspaper) on 05.01.2024 and 19.01.2024.
2. The News Editor, Pradeshik Samachar, All India Radio, Port Blair with the request to include the contents of the Notice in the Pradeshik Samachar on 05.01.2024 and 19.01.2024.
3. The Station Director, Doordarshan Kendra, Port Blair with the request to include the contents of Notice in Dweep Darpan on 05.01.2024 and 19.01.2024.
4. The Executive Officer, SOVTECH, DBRAIT Campus, Dollygunj, Port Blair with the request to upload the enclosed Draft Notification and Recruitment Rule (In English & Hindi in Hard & Soft Copy) in the A&N Administration website www.andaman.gov.in on 05.01.2024.
5. The Assistant Manager (IT), DSS for information and necessary action.

Copy also forwarded to :

1. PA to DSS for kind information of DSS.
2. PA to DDSS for kind information of DDSS.
3. The Deputy Secretary (Shipping), A&N Administration, Port Blair.

Assistant Director (Admn)
02/01/24

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT
****

दिनांक/dated the 15th December,2023

NOTIFICATION

No................../F.No.42-517/2017-TR(PF) - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No.14/3/60-ANL dated 11.04.1960, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of **Armature Winder** in the Establishment of Directorate of Shipping Services, Andaman & Nicobar Administration, namely:-

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

(i) These Rules may be called the Andaman & Nicobar Administration "Armature Winder" in the Directorate of Shipping Services) Recruitment Rules, 2023.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. NUMBER OF POSTS, CLASSIFICATION AND SCALE OF PAY:

The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in para 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT AND QUALIFICATION:

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matter relating to the said post shall be specified in para 5 to 13 of the said Schedule.

4. DISQUALIFICATION:

No Person-

a. Who has entered into a contracted marriage with a person having a spouse living, or
b. Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. POWERS TO RELAX:

Where the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect of any class or category of persons.

6. SAVINGS:

Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit any other concessions required to be provided for candidates belonging to Scheduled Caste, Schedule Tribe and other specified categories of persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

(Admiral D.K. Joshi)
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lieutenant Governor
Andaman and Nicobar Islands
By order and in the name of Lieutenant Governor

—sd—
Deputy Secretary (Shipping)

SCHEDULE-I

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ARMATURE WINDER IN THE ESTABLISHMENT OF DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES, ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION

1.	Name of the post	**Armature Winder**
2.	No. of Post	01
3.	Classification	Group 'C' (Non-Gazetted) (Non - Ministerial)
4.	Level in the Pay Matrix	Pay Level - 2 ₹ 19900-63200
5.	Whether Selection post or Non-Selection post	Not Applicable
6.	Age limit for direct recruitment	18-33 years for Male 18-38 years for Female *(The upper age is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).* **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and pangi Sub-division of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruit	**Essential :** i. Pass in Matriculation (Xth Std) or its equivalent from a recognized Board/ Institution.

		ii. Should possess ITI Trade Certificate in Armature Winder from a recognized Institute iii. Must qualify the departmental trade test. **Desirable** : Three (03) years experience as Armature Winder.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes?	Not applicable
9.	Period of Probation, if any	2 (two) years Note: Direct recruit would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority for completion of probation.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	100% by direct recruitment
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	Not applicable
12.	If a DPC exists, what is its composition	Group 'C' DPC (for considering cases of confirmation) consisting of: 1. Director of Shipping Services- Chairman. 2. Executive Engineer, Workshop Division, APWD - Member. 3. Assistant Engineer (Mechanic), Directorate of Transport - Member. 4. Assistant Director (Admin) - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

DUTIES AND RESPONSIBILITIES FOR THE POST OF ARMATURE WINDER

1. Re-winding of Motors and Generators.
2. Attend automation and instrumentation of engines and controls on board departmental vessels.
3. Calibration of electrical/ electronic instruments used on board department vessels.
4. Maintenance of electrical Lab, testing and calibration machineries fitted in the lab.
5. Repairing and maintenance of electrical machineries on board department vessels as same as Electrician.
6. Should have knowledge of providing all types of Domestic/ Industrial electrical connections to all units as per norms and procedures.
7. Should have basic knowledge of semi-conductor and industrial electronic.
8. Any other work assigned by the superior from time to time.

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
नौवहन सेवा निदेशालय
*****

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक   जनवरी, 2024

सूचना

आर्मेचर वाइंडर के पद के लिए मसौदा भर्ती नियम सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वेबसाइट www.andaman.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं । यदि कोई दावे/आपत्तियाँ हों तो हितधारक इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर निदेशक, नौवहन सेवा निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर को भेज सकते हैं । उसके बाद किसी भी दावे/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

सहायक निदेशक (प्रशासन)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/ SECRETARIAT

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 15 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

सं............../फा.सं. 42-517/2017-टीआर(भा.फा.)- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 11.04.1960 की अधिसूचना संख्या 14/3/60-ए.एन.एल के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल(प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतदद्वारा नौवहन सेवा निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की संस्थापना में धारित **आर्मेचर वाइंडर** के पदों की भर्ती पद्धति को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:-

(i) इन नियमों को नौवहन सेवा निदेशालय में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन "आर्मेचर वाइंडर" भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाएगा।
(ii) यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:-

पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित वेतनमान वही होंगे जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 02 से 04 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यता :-

उपरोक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा अन्य बातें वही होंगे जो उपरोक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

4. अयोग्यताएँ :-

कोई भी व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होंगे जिसने-

क. ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या
ख. पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो।

परन्तु उप राज्यपाल(प्रशासक),अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को यह संतुष्टि हो जाने पर कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. छूट देने की शक्तियाँ :-

जहाँ उपराज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट प्रदान करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करके आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. व्यावृत्तियाँ

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी जो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विर्निदष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित कराना अपेक्षित है ।

एडमिरल डी.के.जोशी
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम(अ.प्रा.)
उपराज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर
ह/-
उप सचिव(नौवहन)

अनुसूची- I

नौवहन सेवा निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की संस्थापना में आर्मेचर वाइंडर का पद की भर्ती नियमावली

1.	पद का नाम	**आर्मेचर वाइंडर**
2.	पदों की संख्या	01
3.	वर्गीकरण	वर्ग 'ग' (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय)
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	स्तर – 2 रू. 19900-63200
5.	चयन पद या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	पुरूषों के लिए 18-33 वर्ष महिलाओं के लिए 18-38 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी।) **नोट:** आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही होगी और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीती जिला तथा पंगी उप मंडल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	**अनिवार्य:** i. किसी भी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्थान से माध्यमिक विद्यालय(10वीं कक्षा) परीक्षा उत्तीर्ण ii. किसी भी मान्यताप्राप्त संस्थान से आर्मेचर वाइंडर में आई. टी. आई. ट्रेड प्रमाणपत्रधारी। iii. विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाली ट्रेड परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना होगा।

		वांछनीय:- आर्मेचर वाइंडर क के रूप में तीन (02) वर्ष का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे ?	लागू नहीं ।
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि हो।	02(दो) वर्ष सीधी भर्ती वालों को परिवीक्षा की अवधि पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक होगा।
10.	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।	100% सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती किए जाने की स्थिति में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	लागू नहीं
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	वर्ग 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के मामलों पर विचार के लिए) का गठन इस प्रकार है - 1. नौवहन सेवा निदेशक - अध्यक्ष 2. कार्यपालकअभियन्ता, कर्मशाला प्रभाग, अण्डमान लोक निर्माण विभाग - सदस्य 3. सहायक अभियन्ता(मैकानिक), परिवहन निदेशालय - सदस्य 4. सहायक निदेशक(प्रशासन) - सदस्य
13.	परिस्थितियां जब भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने की आवश्यकता है ।	लागू नहीं।

आर्मेचर वाइंडर पद के कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ

1. मोटरों और जेनेरेटरों का री-वाइंडिंग करना।
2. विभागीय जलयानों में इन्जिन के ऑटोमेशन तथा इन्स्ट्रूमेंटेशन का कार्य तथा उन्हें नियंत्रित करना।
3. विभागीय जलयानों में उपयोग किए जाने वाले इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों का कैलीब्रेशन करना।
4. इलैक्ट्रिकल प्रयोगशाला का रख-रखाव, प्रयोगशाला में लगे हुए यंत्रों की जाँच तथा कैलीब्रेशन करना।
5. विभागीय जलयानों के इलैक्ट्रिकल यंत्रों की मरम्मत तथा रखरखाव का कार्य इलैक्ट्रीशियन के कार्यों के अनुसार करना।
6. प्रतिमानकों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार सभी यूनिटों में सभी प्रकार के घरेलू/औद्योगिक इलैक्ट्रिकल कनैक्शन उपलब्ध कराने का ज्ञान होना चाहिए।
7. सेमी-कंडेक्टर तथा औद्योगिक इलैक्ट्रॉनिक यंत्रों की बुनियादी जानकारी होना आवश्यक है।
8. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

****

Souteelf